प्रेस नोट
दिनांक 15.05.2025
थाना- छपिया, जनपद- गोण्डा

थाना छपिया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नरायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-148/25, धारा 109, 115(2), 191(2), 352, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्तों-01. श्रीनिवास, 02. अनिल मौर्या, 03. आशाराम मौर्या व 04. सुशील मौर्या को उनके घर हलुआ मौजा माड़ा थाना छपिया से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 15.03.2025 को वादी शिवपूजन यादव पुत्र जयराम यादव निवासी हलुआ पो0 माड़ा थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया में एक लिखित तहरीर दी कि खेत में सिंचाई कर रहा था तभी पुरानी रंजीश को लेकर विपक्षीगणों उनके भाई व पिता पर लाठी, डंडा और सरिया से जानलेवा हमला किया, जिससे उसके भाई को गंभीर चोटें आयी है। वादी की तहरीर पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं के अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना के क्रम में आज दिनांक 15.05.2025 को थाना छपिया पुलिस द्वारा मामले में दोषी पाए गए 04 वांछित अभियुक्तों-01. श्री निवास, 02. अनिल मौर्या, 03. आशाराम मौर्या व 04. सुशील मौर्या को उनके घर हलुआ मौजा माड़ा थाना छपिया से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. श्रीनिवासी पुत्र हरिराम मौर्या निवासी हलुआ मौजा माड़ा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. अनिल मौर्या पुत्र लालमन मौर्या निवासी हलुआ मौजा माड़ा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. आशाराम मौर्या पुत्र हरिराम मौर्या निवासी हलुआ मौजा माड़ा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. सुशील मौर्या पुत्र लालमन मौर्या निवासी हलुआ मौजा माड़ा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-148/2025, धारा 109, 115(2), 191(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुभाष यादव
02. हे0का0 देवेन्द्र प्रताप सिंह
03. हे0का पुनीत वर्मा
04. हे0का0 जितेन्द्र कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.05.2025, थाना मोतीगंज
जनपद गोण्डा।

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त राधेश्याम वर्मा उर्फ पप्पू पुत्र राघवराम वर्मा निवासी ग्राम नगरागढी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को सेंट जोसेफ स्कूल से पहले आम की बाग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 15.05.2025 को थाना मोतीगंज के उ0नि0 विवेक कुमार मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ठकुरन कोठिया जाने वाले मार्ग पर सेंट जोसेफ स्कूल के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 140 ग्राम अवैध गाँजा) बरामद कर अभियुक्त राधेश्याम वर्मा उर्फ पप्पू पुत्र राघवराम वर्मा निवासी ग्राम नगरागढी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मोतीगंज में मु0अ0स0- 70/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राधेश्याम वर्मा उर्फ पप्पू पुत्र राघवराम वर्मा निवासी ग्राम नगरागढी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 70/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 किलो 140 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विवेक कुमार
02. का0 महेश कुमार
03. का0 रमेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।